न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 81/2015   **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2015/00152**
दायर दिनांक :– 23.07.2015   **निर्णय दिनांक :– 18.11.2025**

1. सुरजकंवर पत्नी आसुसिंह जाति राजपूत निवासी उदट तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–वादी

बनाम

1. शैतानसिंह पुत्र सांगसिंह जाति राजपूत निवासी उदट तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. खुशालसिंह पुत्र सांगसिंह जाति राजपूत निवासी उदट तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. नाहरसिंह पुत्र सांगसिंह जाति राजपूत निवासी उदट तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. विशालसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी उदट तहसील घंटियाली जिला फलोदी
5. गोपालसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी उदट तहसील घंटियाली जिला फलोदी
6. दुर्जनसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी उदट तहसील घंटियाली जिला फलोदी
7. रामकंवर पत्नी भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी उदट तहसील घंटियाली जिला फलोदी
8. मूलसिंह पुत्र आसुसिंह जाति राजपूत निवासी उदट तहसील घंटियाली जिला फलोदी
9. कावेद राजकुमार पुत्र कावेद सुभाष जाति हिन्दू मराठा निवासी कावेद निवास अम्बाला होटल के पास, तांबरी विभाग उस्मानाबाद (यू.पी.)
10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम उदट पटवार क्षेत्र उदट तहसील घंटियाली में खसरा नम्बर 69 रकबा 556–11 बीघा भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादगस्त भूमि से संबोधित किया गया है। उक्त वादगस्त भूमि में वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या 8 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 का 1/2 हिस्सा था। वादिनी ने अपने संयुक्त 1/2 हिस्सा में से 1200/11131 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 9 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के बेचान कर दिया। जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 512 मौजा उदट प्रतिवादी संख्या

Satya..
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

9 के पक्ष में भरा जाकर स्वीकृत किया गया। नामान्तरकरण संख्या 512 भरते समय प्रतिवादी संख्या 9 का हिस्सा राजस्व रेकर्ड में माफिक विक्रय पत्र अनुसार दर्ज कर दिया गया लेकिन वादी का नाम राजस्व रेकर्ड से हटा दिया गया। इसलिये वादी अपने 1583/11131 हिस्सा भूमि की खातेदारी घोषणा करवाने एवं उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाने की अधिकारी है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण सं. 1, 3, 9 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी संख्या 2, 4 ता 8 की और से अधिवकता श्री मदनगोपाल शर्मा ने वकालतनामा व इकबालिया जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनकर नामान्तरकरण संख्या 512 मौजा उदट को खारिज किया जाकर ग्राम उदट के खसरा नम्बर 69 रकबा 556—11 बीघा में वादिनी को 1583/11131 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। इसी अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार घंटियाली द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

तहसीलदार घंटियाली द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्ष ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार घंटियाली द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री तैयार कर तहसीलदार, घंटियाली द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता वादी द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार घंटियाली द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार घंटियाली द्वारा राजस्व ग्राम उदट पटवार क्षेत्र उदट तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 69 रकबा 90.0910 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :—

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा / हैक्टयर	किस्म
1	सूरजकंवर पत्नी आसूसिंह 211/742 हिस्सा, मूलसिंह पुत्र आसूसिंह 1/2 हिस्सा जाति राजपूत सा. देह, कावेद राजकुमार पुत्र कावेद सुभाष 1200/5565 हिस्सा जाति हिन्दू सा. कवेद निवास अम्बाला होटल के पास ताम्बरी विभाग उस्मानाबाद खातेदार। रहन एस.बी.आई कानसिंह की सिड मूलसिंह का हिस्सा। नोटः– कावेद राजकुमार के हिस्से पर सी.बी.आई. जांच विचाराधीन होने का स्थगन नोट पूर्वानुसार यथावत दर्ज रहेगा।	उदट	69	45.0414 हैक्टेयर	बी–4
2	खुशालसिंह पुत्र सांगसिंह 1192/1392 हिस्सा, रतनकंवर पत्नी मोतीसिंह 200/1392 हिस्सा जाति राजपूत सा. देह खातेदार	उदट	69	11.2664 हैक्टेयर	बी–4
3	गोपालसिंह 1/4 हिस्सा, दुर्जनसिंह 1/4 हिस्सा, विशालसिंह 1/4 हिस्सा पि. भैरूसिंह, रामकंवर पत्नी भैरूसिंह 1/4 हिस्सा, जाति राजपूत सा. देह खातेदार। रहन एस.बी.आई शाखा कानसिंह की सिड गोपालसिंह व दुर्जनसिंह का हिस्सा।	उदट	69	11.2664 हैक्टेयर	बी–4
4	नाहरसिंह पुत्र सांगसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार	उदट	69	11.2584 हैक्टेयर	बी–4
5	शैतानसिंह पुत्र सांगसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार	उदट	69	11.2584 हैक्टेयर	बी–4

नोटः– खातेदार कावेद राजकुमार के हिस्से पर सी.बी.आई. जांच विचाराधीन होने का स्थगन नोट पूर्वानुसार यथावत दर्ज रहेगा।

तहसीलदार घंटियाली को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 9 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya...

(सत्य नारायण–I, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

1. सुरजकंवर पत्नी आसुसिंह जाति राजपूत निवासी उदट तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–वादी

बनाम

1. शैतानसिंह पुत्र सांगसिंह जाति राजपूत निवासी उदट तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. खुशालसिंह पुत्र सांगसिंह जाति राजपूत निवासी उदट तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. नाहरसिंह पुत्र सांगसिंह जाति राजपूत निवासी उदट तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. विशालसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी उदट तहसील घंटियाली जिला फलोदी
5. गोपालसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी उदट तहसील घंटियाली जिला फलोदी
6. दुर्जनसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी उदट तहसील घंटियाली जिला फलोदी
7. रामकंवर पत्नी भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी उदट तहसील घंटियाली जिला फलोदी
8. मूलसिंह पुत्र आसुसिंह जाति राजपूत निवासी उदट तहसील घंटियाली जिला फलोदी
9. कावेद राजकुमार पुत्र कावेद सुभाष जाति हिन्दू मराठा निवासी कावेद निवास अम्बाला होटल के पास, तांबरी विभाग उस्मानाबाद (यू.पी.)
10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या 81/2015

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सत्य नारायण–I, पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व मदनगोपाल शर्मा मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि राजस्व ग्राम उदट पटवार क्षेत्र उदट तहसील घंटियाली में खसरा नम्बर 69 रकबा 90.0910 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :–

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टयर	किस्म
1	सूरजकंवर पत्नी आसूसिंह 211/742 हिस्सा, मूलसिंह पुत्र आसूसिंह 1/2 हिस्सा जाति राजपूत सा. देह, कावेद राजकुमार पुत्र कावेद सुभाष 1200/5565 हिस्सा जाति हिन्दू सा. कवेद निवास अम्बाला होटल के पास ताम्बरी विभाग उस्मानाबाद खातेदार। रहन एस.बी.आई कानसिंह की सिड मूलसिंह का हिस्सा। नोटः– कावेद राजकुमार के हिस्से पर सी.	उदट	69	45.0414 हैक्टेयर	बी–4

	बी.आई. जांच विचाराधीन होने का स्थगन नोट पूर्वानुसार यथावत दर्ज रहेगा।				
2	खुशालसिंह पुत्र सांगसिंह 1192/1392 हिस्सा, रतनकंवर पत्नी मोतीसिंह 200/1392 हिस्सा जाति राजपूत सा. देह खातेदार	उदट	69	11.2664 हैक्टेयर	बी–4
3	गोपालसिंह 1/4 हिस्सा, दुर्जनसिंह 1/4 हिस्सा, विशालसिंह 1/4 हिस्सा पि. भैरूसिंह, रामकंवर पत्नी भैरूसिंह 1/4 हिस्सा, जाति राजपूत सा. देह खातेदार। रहन एस.बी.आई शाखा कानसिंह की सिड गोपालसिंह व दुर्जनसिंह का हिस्सा।	उदट	69	11.2664 हैक्टेयर	बी–4
4	नाहरसिंह पुत्र सांगसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार	उदट	69	11.2584 हैक्टेयर	बी–4
5	शैतानसिंह पुत्र सांगसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार	उदट	69	11.2584 हैक्टेयर	बी–4

नोटः– खातेदार कावेद राजकुमार के हिस्से पर सी.बी.आई. जांच विचाराधीन होने का स्थगन नोट पूर्वानुसार यथावत दर्ज रहेगा।

तहसीलदार घंटियाली को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 9 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा।नीचे

मुतालिक बाबत् खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.11.2025 को जारी की गई।

Satya..

(सत्य नारायण R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुत्फरिक मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।